''बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.''

पंजीयन क्रमांक ''छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002.''

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 275] रायपुर, सोमवार, दिनांक 28 अक्टूबर 2002—कार्तिक 6, शक 1924

विधि और विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 अक्टूबर 2002

क्रमांक 6764.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक 22-10-2002 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. बी. वाजपेयी, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 26 सन् 2002)

छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर (संशोधन) अधिनियम, 2002

छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के 53वें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ. 1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर (संशोधन) अधिनियम, 2002 (क्रमांक 26 सन् 2002) है.

(2) यह शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 27 में संशोधन. 2. छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) की धारा 27 में उपधारा (2) में शब्द "चालीस" के स्थान पर शब्द "पचास" प्रतिस्थापित किया जायेगा.

रायपुर, दिनांक 26 अक्टूबर 2002

क्रमांक 6764.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर (संशोधन) अधिनियम, 2002 (क्र. 26 सन् 2002) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. बी. वाजपेयी, उप-सचिव.

CHHATTISGARH ADHINIYAM

(No. 26 of 2002)

THE CHHATTISGARH VANIJYIK KAR (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2002

An Act further to amend the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995).

Be it enacted by the Chhattisgarh legislature in the Fifty-third Year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement. 1. (1) This Act may be called the Chhattigsarh Vanijyik Kar (Sanshodhan) Adhiniyam, 2002 (No. 26 of 2002).

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

Amendment in Section 27. 2. In Section 27 of the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995), in Sub-section (2) for word "forty" the word "fifty" shall be substituted.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.